न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/84/2017

रामखिलाडी पुत्र कैलीराम जाति काछी निवासी कस्वा रुदावल तहसील रुपवास **जिला भरतपुर**

.......प्रार्थी

बनाम

लखमी पुत्र रुपसिंह जाति काछी निवासी तुर्कपुरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा यूपी

.....अप्रार्थीा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत व उनवान मुकदमा लखमी बनाम राम**खिलाडी** मुकदमा नम्बर **140/13 प्रार्थना** पत्र अन्तर्गत आदेश 9रुल **13 जा.** दी. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रुपवास

निर्णय दिनांक 19.2.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान पेश किया गया है **जो संक्षेप में इस प्रकार** है कि घोषणा वाद धारा 88,89 व188 आरटीएक्ट उनवानी लख**मी बनाम रामखिलाड़ी** विचाराधीन था जो दिनांक 4.9.2012 को डिक्री कर दिया गया है। **जिसके विरुद्व प्रार्थना** पत्र आदेश 9 नियम 13 जादी पेश किया गया है जो पेंडिग है **जिसमें गत तारीख पेशी** दिनांक 25.9.2017 नियत थी उसके बाद 4.10.2017 नियत की गई **थी। नियत दिनांक को** व्यवहार से लग रहा था कि वे अप्रार्थी के हक में निर्णय करने पर तुले **हुये हों। अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में घुसते हुये काफी देर तक बात चीत करते हुये देखने से प्रार्थी को स्पष्ट है कि एस.डीओ रुपवास से न्याय नहीं मिलेगा। अतः एस.डी.ओ. रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 148/2013 प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जादी को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।**

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। अप्रार्थी का बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आना यह दर्शाता है कि उसे प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। एस.डी.ओ. रुपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ. रुपवास को प्रकरण दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की सहमति को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण को एस.डी.ओ. भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित पाते हैं।

........2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2)

मुन्त. प्रा0/84/2017
रामखिलाडी बनाम लखमी

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रुपवास न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रकरण संख्या 148/2013 लख्मी बनाम रामखिलाडी को न्यायालय एस.डी.ओ. भरतपुर में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं रुपवास को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर